

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 03.07.2025

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 197/2025 धारा 137(2)/65(1)/87
बीएनएस व 5(J)(ii)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त को
किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 197/2025 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त गौरव पुत्र राकेश निवासी बह्रैय्या थाना सुरसा जनपद हरदोई को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01. गौरव पुत्र राकेश निवासी बह्रैय्या थाना सुरसा जनपद हरदोई ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 28.06.2025 को वादी द्वारा थाना मऊदरवाजा पर तहरीर दी कि दिनांक 23.06.2025 हरदोई जिले का एक लड़का नाम पता अज्ञात वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0 0197/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में पीडिता/अपहृता की बरामदगी करते हुए पीडिता के बयान व मेडिकल के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1)/87 बीएनएस व 5(J)(ii)/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी एवं प्रकाश में आये अभियुक्त गौरव पुत्र राकेश निवासी बहरैय्या थाना सुरसा जनपद हरदोई को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण अभियुक्त -

अभियुक्त गौरव उपरोक्त से पूछताछ पर अभियुक्त ने अपने जुर्म से इनकार करते हुये तो अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

अभियुक्त गौरव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 197/2025 धारा 137(2)/65(1)/87 बीएनएस व 5(J)(ii)/6 पाक्सो एक्ट थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री अजय सिंह
3. मु0आ0 महेश उपाध्याय
4. आरक्षी सचिन

मीडिया सेल फतेहगढ़।

